

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0- 20 / 21-22

महेन्द्र मुर्मू बनाम् रैयान मौजा-हरिपुर नं0-12

-: आदेश :-

27.12.2022

वर्तमान वाद आवेदक महेन्द्र मुर्मू पे0-मरांग मुर्मू सा0-हरिपुर, थाना व अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा- हरिपुर नं0-12 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।


आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक-270/रा0, दिनांक-13.04.2022 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि पूर्व प्रधान किसुन हेम्ब्रम की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रधानी पद रिक्त है। आवेदक महेन्द्र मुर्मू पे0-मरांग मुर्मू सा0-हरिपुर पूर्व प्रधान के परनाती हैं। आवेदक प्रासंगिक मौजा में निवास कर रहे हैं। उक्त के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-06 के तहत आवेदक महेन्द्र मुर्मू पे0-मरांग मुर्मू सा0-हरिपुर का रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।


अतः आवेदक के आवेदन के विरुद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-हरिपुर नं0-12 का प्रधान आवेदक महेन्द्र मुर्मू पे0-मरांग मुर्मू सा0-हरिपुर को नियुक्त किया जाता है।

अतः नवनियुक्त प्रधान महेन्द्र मुर्मू पे0-मरांग मुर्मू सा0-हरिपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


27.12.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


27.12.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।